कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/2834 खंडवा, दिनांक 1/8/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध),वन भवन तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)

विषयः- जिला खण्डवा एवं जिला खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हे. वनभूमि एवं वनमण्डल खरगोन की 3.4 हे. वनभूमि कुल 39.715 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।
ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांकः- FP/MP/IRRIG/32304/2018

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-3/107/2018/10-11/10/3345 दिनांक 25.06.2024 एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन का पत्र क्रमांक 2941 दिनांक 31.07.2024

--000--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ मे निवेदन है कि जिला खण्डवा एवं जिला खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हे. वनभूमि एवं वनमण्डल खरगोन की 3.4 हे. वनभूमि कुल 39.715 हेक्टेयर वनभूमि, जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने के संबंध में 02 बिंदुओ की जानकारी निम्नानुसार प्रेषित हैः-

क्र.	बिंदु	विवरण
1	The user Agency/State Forest Department Shall submit a copies of the approval obtained under FCA for exisiting transmission line (132 KV and 220 KV) passing through the proposed diversion area along with a report on compliance of conditions imposed in these approvals.	रोशिया तालाब अंतर्गत वन प्रभावित 220 के. वी. एच. टी. लाईन जिसका प्राक्कलन वर्ष 1979 मे स्वीकृत हो चूका था एवं दिनांक 19.02.1982 को उर्जिकृत किया गया था। 132 के. वी. एच. टी. लाईन को दिनांक 03.06.1964 को उर्जिकृत किया गया था। अतः उक्त दोनो एच. टी. लाईनो का निर्माण कार्य 1980 के पूर्व प्रांरभ हो चूका था। (कार्यपालन अभियंता अ.उ.दा. (संधा) संभाग म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. बडवाह एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन का पत्र संलग्न है।)
2	The DFO Shall provide a certificate to the effect that the submitted KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries provided in the prevalling workin plan.	वनमण्डल खण्डवा के अंतर्गत कक्ष क्र. 05 (वन विकास परियोजना मण्डल खण्डवा को हस्तांतरित है) में प्रभावित वनभूमि 36.315 हे. जिसमें से डूब प्रभावित क्षेत्र 27.90 हेक्टेयर, 220 के. वी. एच. टी. लाईन से प्रभावित वनक्षेत्र 4.59 हेक्टेयर एवं 132 के. वी. एच. टी. लाईन से प्रभावित वनक्षेत्र 3.825 हेक्टेयर पाया गया है। वनमण्डलाधिकारी खरगोन के पत्र क्रं. 3510 दिनाक 05.04.24 (प्रति संलग्न) द्वारा कुल प्रभावित वनभूमि 3.4 हे. पायी गई है, जिसमे से डूब प्रभावित क्षेत्र 2.10 हेक्टेयर एवं नहर प्रभावित क्षेत्र में 1.30 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होना पाई गई है इस प्रकार रोशिया तालाब से कुल प्रभावित वन क्षेत्र 39.715 हे. है। KML अनुसार प्रभावित वनभूमि का सत्यापन किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(राकेश कुमार डामोर)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खण्डवा

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2024/2835 खंडवा, दिनांक 1/8/2024

प्रतिलिपि :-

1- वनसंरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल खरगोन सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3- संभागीय प्रबंधक परियोजना मण्डल खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खण्डवा

D:\MEMO 2024\Memo 2024.docx

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बड़वाह

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब(संधा.) संभाग

रजिस्टर्ड ऑफिस: ब्लॉकनं. 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर- 482008 (म.प्र.)

220के.व्ही. उपकेन्द्रमहेश्वर रोड बड़वाह जिला खरगोन (म.प्र.) ई-मेल:- ee.ehtmbwh@mptransco.nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : 4734000/2023-24/ 378 बड़वाह, दिनांक :- 29/07/2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग,
खरगोन म.प्र

विषयः- रोशिया तालाब योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में मौजुदा ट्रांसमिशन लाईन की FCA के तहत प्राप्त अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराने बाबत।

सदर्भः- आपका पत्र क्रमांक 1563/कार्य/रोशिया तालाब/2024 दिनांक 01.05.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि रोशिया तालाब योजना से प्रभावित अउदा लाइनों का निर्माण वर्ष 1980 के पूर्व प्रारंभ किया गया था अथवा पूर्ण हो चुका था जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	अ. उ. दा. लाईन का नाम	उर्जिकृत किये जाने की तिथी
1	220 के.व्ही. ओम्कारेश्वर खंडवा (मुख्य लाईन 220 के.व्ही. बडवाह-नेपा)	रोशिया तालाब में प्रभावित खंड को दिनांक 19.02.1982 को उर्जिकृत किया गया था जिसका प्राक्कलन वर्ष 1979 में स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था, अतः संभवतः पूर्व से प्रस्तावित इस लाईन में FCA का अनुमोदन लागू नहीं है।
2	132 के.व्ही. बडवाह छेगाँव लाईन	रोशिया तालाब में प्रभावित खंड को दिनांक 03.06.1964 को उर्जिकृत किया गया था अतः FCA का अनुमोदन लागू नहीं है।

T/S
EE
D

संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी जानकारी उपरोक्तानुसार है एवं आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। एवं उक्त लाईनों में संशोधन/विस्थापन हेतु FCA की अनुमति प्रथक से प्राप्त करनें हेतु अनुरोध है।

कार्यपालन अभियंता,
अ.उ.दा.(संधा.) संभाग,
म.प्र.पॉं.ट्रां.कं.लि., बड़वाह

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता अ.उ.दा. (संधा) वृत्त म.प्र.पा.ट्रांस. कं.लि., इंदौर की ओर सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, खरगोन सामान्य वनमंडल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फेक्स : 235388, ई-मेल : dfotkgone@mp.Gov.in

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / खरगोन, दिनांक

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष–भू प्रबंध),
वन भवन, भोपाल

विषयः– जिला खण्डवा एवं जिला खरगोन के अन्तर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हे. वनभूमि एवं वनमण्डल खरगोन की 3.4 हे. वनभूमि कुल 39.715 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक / एफ–3 / 107 / 2018 / 10–11 / 10 / 4813 दिनांक 27.10.2023।

—::—

विषयांकित संदर्भित पत्र के अन्तर्गत निवेदन है कि आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.09.2023 के तारतम्य में रोशिया तालाब योजना के प्रकरण में अभिलेखों अनुसार डूब क्षेत्र की सही जानकारी दिये जाने संबंधी अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

इस संबंध में निवेदन है कि प्रस्तावित रोशिया तालाब से प्रभावित डूब क्षेत्र 2.100 हे. वनभूमि एवं नहर क्षेत्र में प्रभावित 1.300 हे. की संयुक्त जांच जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 03.04.24 को पुनः सर्वेक्षण कराया गया तथा संयुक्त जांच अनुसार प्रस्तावित तालाब निर्माण के डूब क्षेत्र में 2.100 हे. एवं नहर क्षेत्र में 1.300 हे. वनभूमि प्रभावित होना पाई गई है।

(प्रशांत कुमार सिंह)
(भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

क्रमांक / तकनीकी / 2024 / 3511 खरगोन दिनांक 05/04/24

प्रतिलिपि :– 1. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन की ओर सूचनार्थ।

5.4.24
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

687
8/4/24
T13

Desktop/Roshiya talab

...read-a:r-3600972893995928995&simpl=m...